


कार्यालय आदेश

जिला चरखी दादरी में Covid-19 को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों को सूखा राशन समाजसेवियों के सहयोग से वितरित किया गया था। लेकिन ऐसा जानकारी में आया है कि इस सूखे राशन को दुकानों पर वापस लाकर बेचा जा रहा है।

अतः जिला चरखी दादरी में स्थित सभी दुकानदारों को निर्देश दिये जाते हैं ऐसे सामान को ना खरीदा जाये।


यदि कोई दुकानदार ऐसे सामान को खरीदते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


31.03.2020
उपायुक्त, चरखी दादरी

पृ क्रमांक Covid-19/55-60 दिनांक 31-03-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस अधीक्षक, चरखी दादरी।
2. उपमण्डल अधिकारी (ना0) चरखी दादरी व बाढडा।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, चरखी दादरी।
4. जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, चरखी दादरी।
5. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद्, चरखी दादरी।


31.03.2020
उपायुक्त, चरखी दादरी